

(18) (12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,  
प्रशा० सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3054-एक/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.8.14 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कटनी प्रकरण क्रमांक 52/ब-103/2013-14.

मेसर्स हिना मार्बल एच. आई. जी. 7  
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी म.प्र.

----- आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन  
द्वारा - उप पंजीयक कटनी, म.प्र.

----- अनावेदक

श्री आर. एस. सेंगर, अधिवक्ता, आवेदक ।  
श्री बी. एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....  
:: आ दे श ::

( आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 को पारित )

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कटनी के प्रकरण क्रमांक 52/ब-103/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14.8.14 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प, अधिनियम ( जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा ) की धारा 56 (4) के तहत पेश की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को ग्राम निवास तहसील बहोरीबंद जिला कटनी की भूमि खसरा नंबर 732 रकबा 1.00 हैक्टर पर खनिज मार्बल हेतु पट्टा शासन आदेश दिनांक 1.5.03 के द्वारा दस वर्ष के लिए स्वीकृत कर अनुबंधित किया गया । उक्त स्वीकृत उत्खनित पट्टे के अनुबंध पत्र का पंजीयन दिनांक 16.2.04 को किया गया था । म.प्र. शासन खनिज विभाग के आदेश दिनांक 4.3.14 द्वारा उक्त अवधि को 10 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष किया गया । तदनुसार आवेदक ने दिनांक 3.4.14 को बढ़ी हुई अवधि 20 वर्ष के लिए पूरक अनुबंध उप पंजीयक के समक्ष पंजीकरण हेतु पेश किया गया । उप पंजीयक ने उक्त दस्तावेज को मूल्य निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, कटनी का भेजा गया । कलेक्टर ऑफ

स्टाम्प ने आवेदक को बिना सुने आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क+पंजीयक शुल्क (अर्थदंड सहित) 191800/-- रुपये की राशि जमा कराने का आदेश अधिनियम की धारा 33, 35, 38(1) (2) एवं 40 ख के तहत पारित करते हुए आवेदक द्वारा जमा कराई की राशि रुपये 104000/-- को कम करते हुए शेष राशि रुपये 87800/-- आवेदक को जमा कराने के निर्देश दिए । इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन पूरक अनुबंध को 30 वर्ष की अवधि के लिए मानने में विधिक त्रुटि की गई है जबकि उक्त अनुबंध 20 वर्ष की अवधि का है । इसकी पुष्टि कलेक्टर, खनिज शाखा, कटनी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 9.6.14, 19.5.14 एवं 21.4.14 से स्पष्ट है । अतः अधीनस्थ न्यायालय को गणना 20 वर्ष मानकर करना चाहिए थी ना कि 30 वर्ष मानकर ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को रुपये 104000/-- का चालान दिया गया था जो आवेदक द्वारा दिनांक 25-7-14 को अदा किया जा चुका था । उक्त चालान में मुद्रांक शुल्क 97500/-- अर्थदण्ड 1500/-- एवं उपकर 5000/-- लगाए गए थे । आवेदक द्वारा उक्त चालान जमा कर उसकी प्रति उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की गई परंतु अनुबंध उप पंजीयक द्वारा नहीं किया गया व नई गणना कर आवेदक के विरुद्ध नये सिरे से आदेश दिया गया है जो विधि विपरीत है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अर्थदण्ड आरोपित किया गया है वह विधि विरुद्ध है क्योंकि पूर्व में जब चालान आवेदक को दिया गया था उसमें मात्र 1500/-- अर्थदण्ड आरोपित था जबकि आलोच्य आदेश में 25000/-- आरोपित किया गया है जो कि भ्रामक स्थिति का वर्णन करती है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा पूरक दस्तावेज के पंजीकरण हेतु जमा की गई राशि को उचित मान्य करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया विकल्प में आवेदक अधिवक्ता द्वारा भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2014 के अनुच्छेद 38 (चार) के अनुसार स्टाम्प शुल्क लेने के आदेश कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को देने हेतु प्रकरण उन्हें प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कलेक्टर द्वारा निकाली गई अधिक

*का*

राशि अण्डर प्रोटेस्ट जमा कर दी गई है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा निगरानी स्वीकार कर आवेदक द्वारा जमा की गई राशि वापिस दिलाए जाने का अनुरोध किया गया है ।

3- अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।


4- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि म0प्र0 शासन, खनिज विभाग के आदेश दिनांक 1-5-03 द्वारा आवेदक को खनिज मार्बल हेतु 10 वर्ष के लिए पट्टा स्वीकृत किया गया था जिसे आवेदक द्वारा तत्समय पंजीयन कराया जाकर आवश्यक स्टाम्प शुल्क अदा की गई है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि खनिज विभाग के आदेश दिनांक 4-3-14 उक्त अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया है नाकि 30 वर्ष के लिए नया पट्टा स्वीकृत किया गया है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का जो आदेश है वह किन तथ्यों पर आधारित है इसका कोई उल्लेख उनके आदेश में नहीं है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने 30 वर्ष की अवधि किस प्रकार मानी है तथा स्टाम्प शुल्क की गणना उनके द्वारा किस आधार पर की गई है, इसका भी कोई भी आधार उन्होंने अपने आदेश में नहीं दिया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूरक अनुबंध पर 30 वर्ष की अवधि के हिसाब से स्टाम्प शुल्क की गणना करना विधिसम्मत नहीं है ।

5- अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में कलेक्टर खनिज शाखा कटनी के पत्र क्रमांक 2340 दिनांक 09.6.14 की प्रति संलग्न है जिसमें उनके द्वारा बढ़ी हुई अवधि 20 वर्ष के लिए पूरक अनुबंध पर ली जाने वाली मुद्रांक शुल्क, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क का विवरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने स्टाम्प शुल्क की गणना किस प्रकार की जानी है इसका भी स्पष्ट विवरण अपने पत्र में किया है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त पत्र को अनदेखा किया गया है और बिना किसी विधिक आधार के स्टाम्प शुल्क की गणना की गई है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के

विपरीत है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6/ जहां तक आवेदक के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण में स्टाम्प शुल्क की गणना भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2014 के अनुसार की जाना चाहिए, जिसके अनुच्छेद 38 में पट्टे के नवीनीकरण करने के लिए करार होने पर कितनी मुद्रांक शुल्क देय होगी उसका उल्लेख है । आवेदक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त संशोधन दिनांक 16-9-14 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और इस भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है जबकि आवेदक द्वारा पूरक अनुबंध का दस्तावेज दिनांक 3-4-14 को पंजीकरण हेतु पेश किया गया है । अतः इस प्रकरण में प्रश्नाधीन पूरक विलेख पर पंजीकरण हेतु पेश किए जाने के दिनांक को लागू स्टाम्प शुल्क देय होगी नाकि स्टाम्प एक्ट में हुए नवीन संशोधन के अनुसार ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा दिनांक 3-4-14 को प्रस्तुत पूरक अनुबंध को 20 वर्ष की अवधि का मान्य करते हुए उस पर दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को लागू प्रचलित दर (स्टाम्प एक्ट की अनुसूची 1-क (म0प्र राज्य में लागू) के अनुक्रमांक 33-चार) के अनुसार स्टाम्प शुल्क की गणना कर प्रकरण का निराकरण करें । चूंकि आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के पालन में देय स्टाम्प शुल्क की राशि जमा कर दी गई है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को यह निर्देश भी दिए जाते हैं कि यदि पुर्ननिर्धारण में आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि अधिक पाई जाये तो अधिक जमा पाई जाने वाली राशि आवेदक को आदेश पारित करने से एक माह के अंदर वापिस की जाये ।

  
( मनोज गोयल, )

प्रशा0 सदस्य,  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर